भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 405

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात नीति का प्रभाव

405. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंगूर, प्याज और अनार की निर्यात नीति में बार-बार होने वाले बदलाव और किसानों और निर्यातकों पर इसके प्रभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के लिए निर्यात नीति में बार-बार बदलाव के कारण क्या हैं, और एक पूर्वानुमानित और सुसंगत नीतिगत संरचना प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) अंगूर, प्याज और अनार के निर्यात को नियंत्रित करने वाले निर्यात प्रोत्साहनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का ब्यौरा क्या है, और क्या निर्यात प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए इनकी समीक्षा की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा अंगूर, प्याज और अनार के निर्यात को बढ़ावा देने और इन उत्पादों के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): अंगूर और अनार संबंधी निर्यात नीति में बार-बार परिवर्तन नहीं किए गए हैं। प्याज के मामले में, जब भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त घरेलू आपूर्ति स्थितियां होती है, सरकार ने आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने तक निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हैं। वर्ष 2024 में, 22 मार्च को, सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद, दिनांक 4 मई 2024 को, 550 डालर प्रति मीट्रिक टन के आधार मूल्य और अतिरिक्त 40% निर्यात शुल्क के साथ, निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यात नीति में संशोधन

किया गया। इसके बाद, दिनांक 13 सितंबर 2024 को सरकार ने प्याज पर फ्लोर प्राइस हटा दिया और निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

इसके अलावा, उचित मूल्यों पर घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्यकलापों पर विचार-विमर्श किया जाता है और सुस्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हितधारक विभागों का प्रतिनिधित्व होता है। नीतिगत कार्यकलापों का अंतर्निहित उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना और मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होने पर निर्यातकों को अवसर प्रदान करना भी है।

(ग) से (घ): सामान्यत, अंगूर, प्याज और अनार सहित हॉर्टिकल्चर उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यातकों द्वारा आयातक देशों द्वारा निर्धारित फाइटोसैनिटरी अपेक्षाओं और विनियमों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। यूरोपीय संघ को किए जाने वाले अंगूरों के निर्यात के अतिरिक्त अंगूर, अनार और प्याज के निर्यात के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। यूरोपीय संघ को भेजे जाने वाले अंगूरों के लिए निर्यात प्रक्रिया विकसित की गई है और इसे यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित शेष सीमाओं का अनुपालन करने और बार्डर रिजेक्शन की संभावना से बचने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए, वेब-आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, "ग्रेपेनेट" को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है, जिसमें फार्म, पैक हाउस, प्रयोगशालाएं आदि शामिल हैं। यह प्रणाली निर्यातकों के लिए सोर्सिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, विश्लेषण और खेप के प्रेषण के लिए प्रत्येक क्रियाकलाप के निर्बाध प्रसंस्करण को सक्षम बनाती है। ट्रेसिबिलिटी सिस्टम में किसानों के पंजीकरण के लिए एपीडा द्वारा कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया गया है।

निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में, भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य दिसंबर 2023 के बाद कृषि वस्तुओं पर कोई निर्यात सब्सिडी प्रदान नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें अंगूर, अनार और प्याज पर सब्सिडी शामिल है। इसमें माल के विपणन और परिवहन के लिए कोई भी सब्सिडी शामिल है।

पूरे भारत से अंगूर, प्याज और अनार सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), अपनी वित्तीय सहायता स्कीम (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के घटक निम्नलिखित हैं:

i . निर्यात अवसंरचना का विकास
ii. गुणवत्ता विकास
iii. बाजार विकास

वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

विशेष रूप से, अंगूर, अनार और प्याज सहित फलों और सब्जियों जैसे खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग सुविधाओं के विकास और इन्टग्रैटड पैक हाउस, रीफर वाहनों और इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं के रूप में कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के तहत वाष्प हीट ट्रीटमेंट (वीएचटी), हॉट वाटर ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूटी) आदि जैसी उपचार सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि विशिष्ट फलों और सब्जियों में कीटों के संक्रमण/घटना को कम किया जा सके।

सरकार विभिन्न खराब होने वाले उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल के कार्यनीतिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लंबी दूरी के बाजारों में अधिक मात्रा में ताजे फल और सब्जियों का निर्यात संभव हो सके। इसके अंतर्गत, अनार के निर्यात के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसी) सोलापुर के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके विकसित होने और मेन्स्ट्रीम में आने से अनार के किसानों और निर्यातकों को लाभ होगा।

वाणिज्य विभाग, एपीडा के माध्यम से एशिया फ्रूट लॉजिस्टिका (हांगकांग), मैकफ्रूट इटली आदि जैसे फलों और सब्जियों के लिए विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रमों सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में अपने सदस्य निर्यातकों की भागीदारी को सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फलों एवं सब्जियों के संवर्धन एवं ब्रांडिंग के लिए प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान शुरू किया गया है।

****